

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/148

भंवर लाल आत्मज जगन्नाथ जाति गुर्जर आयु 50 वर्ष निवासी ग्राम हनोत्या तहसील एवं जिला बून्दी ।

—अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी ।

—रेस्पोंडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री श्याम लाल नागर, अभिभाषक, अपीलान्त की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोंडन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 16.05.2019

1. अपीलान्त द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2018 विरुद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि नायब तहसीलदार, बून्दी जिला - बून्दी ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी अपीलान्त को ग्राम हनोत्या तहसील बून्दी की आराजी खसरा नं. 243 कुल रकबा 06.15 बीघा किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने से अपीलान्त के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बेदखली, लगान का 50 गुना शास्ति एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के दोष में 90 दिवस (तीन माह) के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय अपने आदेश दिनांक 30.03.2017 के द्वारा पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्त ने न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) में अपील प्रस्तुत की । प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.07.2018 के द्वारा अपील खारिज कर दी ।
3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्त ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय

म/


पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है तथा उक्त भूमि पर भविष्य में कभी कब्जा नहीं करेगा जिसका शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे ।

4. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05.04.2019 को प्रार्थी को पुलिस गिरफ्तार करने आयी तब हुई । जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।
5. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेड दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोंडेंट को तलब किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।
6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है कब्जा छोड़ने के सम्बन्ध में अपना शपथ पत्र भी पेश किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा माफ की जावे ।
7. रेस्पोंडेंट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था । वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति आदि को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । इस प्रकार अतिक्रमित भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा जावे ।
8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।
9. अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है । अपीलान्ट द्वारा जुर्माना/तावान राशि आदि जमा करा दी है । अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वादग्रस्त भूमि से अपना कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में अपीलान्ट उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं करेगा ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्त को विचारण न्यायालय द्वारा पारित सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्त ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है एवं जुर्माना/ तावान राशि जमा करा दी है । इस आशय की पालना रिपोर्ट मय शपथ पत्र सम्बन्धित नायब तहसीलदार, बून्दी को भी प्रस्तुत करेगा । उक्त आदेश की पालना हेतु एक प्रति नायब तहसीलदार, बून्दी को भेजी जावे । यदि अपीलान्त उक्त पालना प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो विचारण न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा । पक्षकारान दिनांक 08.07.2019 को न्यायालय नायब तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी में उपस्थित हों ।

11. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा ।

12. निर्णय आज दिनांक 16.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(भागवती जेठवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा